डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 20.05.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे बृहस्पति भवन कुलपति कार्यालय में प्रवेश समिति की बैठक आहूत की गयी। जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः–

प्रो0 आशू रानी (अध्यक्ष) – कुलपति	
2. प्राचार्या, बी0डी0 के0 कालेज, आगरा	3. प्राचार्य, बी0डी0 जैन गर्ल्स पी0जी0 कालेज, आगरा।
4. डा0 शशि कान्त पाण्डेय, संयुक्त सचिव, आगरा कालेज, आगरा।	5. डा0 गौरव कौशिक, कार्यकारिणी सदस्य औटा,आगरा कालेज, आगरा।
6. डा0 विनोद कुमार सिंह कुलसचिव	7. प्रो0 अजय तनेजा प्रति कुलपति **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**
8. प्रो0 संजीव कुमार **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**	9. प्रो0 यशपाल सिंह **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**
9. प्रो0 विजय श्रीवास्तव **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**	10. प्रो0 अनुराधा गुप्ता **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**
11. परीक्षा नियंत्रक **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**	

सर्वप्रथम सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया, बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व प्रति कुलपति प्रो0 अजय तनेजा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्यपाल सचिवालय से कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार/राष्ट्रीय स्तर पर रैकिंग सुधार हेतु आगामी 10 वर्षो का एक विजन डाक्यूमैंट तैयार कर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित किये जाते है। अपने सुझाव विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर भेजने का अंनुरोध किया गया। तत्पश्चात् बैठक की अध्यक्ष अनुमति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक का संचालन प्रारम्भ करते हुये सचिव द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बैठक से पूर्व माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के आवासीय संस्थानों/सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु प्रवेश निर्देशिका, संशोधन या अन्य सुझाव/प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की बैठक दिनांक 08.05.2023 को प्रति कुलपति के कक्ष में आहूत हुई, जिसमें गहन विचार विमर्श के पश्चात् NEP-2020 को ध्यान में रखते हुये पूर्व नियमावली में कतिपय संशोधन शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए सुझाव प्रदान किये गये। जिनके प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुये प्रवेश समिति के सदस्यों द्वारा निम्न नियमावली तैयार की गईः-

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2023-24

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनयम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी(एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी एलएलएम , एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

   (ii) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. (i) छात्रों द्वारा जितने पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु Apply किया जायेगा, उतने ही पाठ्यक्रमों में Web Registration कराना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के अलग-अलग Web Registration फीस देय होगी संस्था में आवेदन करना आवश्यक होगा।

   (ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वंय प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित कराकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

   (iii) सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः

(1) वेब रजिस्ट्रेशन (2) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चुनाव चुनना (3) भुगतान करना (4) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके **पाँचवे चरण** में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रकिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी। प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5. समिति द्वारा Web Registration के रूप में लिये जाने वाले शुल्क में बढोत्तरी करते हुये स्नातक स्तर पर 200/- रू0 के स्थान पर 250/- रू0 तथा परास्नातक स्तर पर 300/- रू0 के स्थान पर 350 रू0 देय होंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ)(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 300/- होगा।

(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 02/- रू0 के स्थान पर 10/- रू0 निर्धारित किया जाता है।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2023-2024 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्पयूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी

स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2. (अ) सत्र 2023-24 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा परीक्षा शुल्क के साथ ही 200/- रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) बीएएलएलबी पंचबर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(द) बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में Practical एवं Theory में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(र) एमएससी में प्रवेश हेतु बीएससी 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(ल) एमएससी(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA
उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा **45% अंकों के साथ** उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(व) एमएससी(एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी(एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी(एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूंर्णाक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की **अन्तिम तिथि 14, अगस्त, 2023** होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगें।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि : शासनादेश के अनुसार
- स्नातक प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 25 मई, 2023
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 14 अगस्त, 2023
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 12 सितम्बर, 2023
- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि : 25 अगस्त, 2023
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 05 सितम्बर, 2023
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3\. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0-2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति-2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नही है।

(द) नई शिक्षा नीति-2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नही है।

(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नही होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों मे कर सकते है।

(र) एन0ई0पी0-2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0-2020 के अनुसार अनुमान्य होगें।

4\. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

(i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नही की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:-

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Pinciples, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for

admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) **स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यनूतम अर्हता निम्न प्रकार होगीः-**

(1) बीएससी (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बीएससी (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला एवं वाणिज्य को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बीएससी(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीएिड्ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वद्यिालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :-

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नही आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रानुसार।
(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोटः- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(v) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

<u>शैक्षिक अंकों की गणना :-</u>

7. (क) <u>स्नातक कक्षायें:-</u>
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख). <u>स्नातकोत्तर कक्षायें :-</u>
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ख) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

<u>अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)</u>

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग **<u>17 अंकों से अधिक नही होगा।</u>**

(क) <u>स्नातक कक्षायें:</u>

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   - (क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   - (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   - (ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   - (घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। — 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) — 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को — 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) <u>स्नातकोत्तर कक्षायें:</u>

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक।
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
3. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

   अथवा

   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

नोटः-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षायें:

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियां के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित)। 10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा

नोटः-

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका

प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल

संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सर्म्पक करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अपटू-डेट'' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो

प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा

12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

अन्य में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव

कुलपति

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु शैक्षिक कलैण्डर

क0स0	शैक्षणिक सत्र 2023-24 का प्रस्तावित परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
	प्रथम सेमेस्टर	
1.	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	19.08.2023 तक
2.	प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित छात्रों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ	21.08.2023
3.	मिड-टर्म परीक्षा	10-31 अक्टूबर, 2023
4.	प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	15.12.2023
5.	प्रथम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	23.12.2023
6.	प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा	01-20 जनवरी, 2024
7.	प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	30.01.2024
	द्वितीय सेमेस्टर	
8.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	22.01.2024
9.	मिड-टर्म परीक्षा	11-30 मार्च, 2024
10.	द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	18.05.2024
11.	द्वितीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	25.05.2024
12.	द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें	20 मई से 15 जून, 2024
13.	द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	29.06.2024

2. पूर्व में अध्ययनरत वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित छात्रों के लिये

क0स0	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
1.	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	31.07.2023
2.	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	17 जुलाई से 12 अगस्त, 2023 के मध्य
3.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की प्रथम टर्म परीक्षा	16-28 अक्टूबर, 2023
4.	वार्षिक पाठ्यक्रमों की द्वितीय टर्म परीक्षा	5-16 फरवरी, 2024
5.	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	30.03.2024
6.	प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	13.04.2024
7.	वार्षिक परीक्षा	15 अप्रैल से 18 मई, 2024
8.	परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि	15.06.2024

कुलसचिव